

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

विनोद पिता कैलाशचन्द्र बडगोती निवासी बनीपार्क जयपुर

बनाम  
बहादूर पिता बजरंग दरोगा निवासी उँचा वगैरह

मुकदमा नंबर 269/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
01/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम उँचा, प.ह. उँचा, आराजी सं. 799, 824, 828, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 800, 801, 808, 811 कुल किता 15 रकबा 6.7662 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम उँचा, प.ह. उँचा, आराजी सं. 799, 824, 828, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 800, 801, 808, 811 कुल किता 15 रकबा 6.7662 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उँचा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 6000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 600 रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/सीडर/2024/269/2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 269/2024 अनवान विनोद पिता कैलाशचन्द्र बडगोली निवासी बनीपार्क जयपुर बनाम बहादूर पिता बजरंग दरोगा निवासी उँचा, रणजीत पिता बजरंग दरोगा निवासी उँचा, राजेश पिता घीसालाल ब्राह्मण निवासी देवलीख शिवचरण पिता जगदीश लुहार निवासी आजादनगर भीलवाडा तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम उँचा, प.ह. उँचा, आंराजी सं. 799,824,828,830,831,832,833,834,835,836,837,800,801,808,811 कुल कित्ता 15 स्कवा 6.7662 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उँचा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 6000 रुपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 600 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा